

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एग.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

प्रतिवादीगण

वादी
चैनाराम/मूलाराम

बनाम

केसाराम/मूलाराम वगैरह

किस्म प्रकरण : वाद पत्र

संख्या - 150 / 2019

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
17.07.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी गैर हाजिर। वकील वादी को आवाजे लगाई गई परन्तु वकील वादी हाजिर नहीं आये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2019 से प्रतिवादीगण की तलबी में लम्बित चल रहा है। वकील वादी को प्रतिवादीगण की तलबी हेतु पर्याप्त मात्रा में अवसर दिये गये हैं। परन्तु वकील वादी आज दिनांक तक प्रतिवादीगण की तलबी की जाने में असमर्थ रहे तथा आज तारीख पेशी पर भी बावजूद तारीख पेशी सूचना के गैर हाजिर रहे हैं।</p> <p>अतः वकील वादी का वाद पत्र अदम हाजरी व अदम पैरवी एवं न्यायालय आदेश दिनांक 11.06.2025 की पालना नहीं जाने पर सीपीसी आदेश 09 नियम 5 के तहत अदम तकमील में खारिज किया जाता है। मिसल अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो</p>	

(जीतू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी,
नावां